

प्रार्थी की आराजीयात में आने - जाने का एक मात्र रास्ता है। जिसका उपयोग प्रार्थीगण व उनसे पूर्व खातेदार अस्मरणीय काल से करते चले आ रहे हैं। इसी रास्ते से होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी पर आवागमन करता है। सुर्ख स्याही से वर्णित रास्ता मुख्य सड़क को प्रार्थी की आराजी से जोड़ने वाला एक मात्र रास्ता है तथा इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अपनी आराजी में आवागमन का और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने के लिये रिकॉर्डेड रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी आराजी ख.न. 1220/434 व ख.न.436 में से होकर अपनी आराजीयात में आने जाने के उपयोग में लेते चले आ रहे हैं। लेकिन अप्रार्थीगण की नियत बंद है वे बार-बार उक्त रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। जिसके चलते बार-बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तथा प्रार्थी को अपनी आराजीयात के उपयोग उपभोग में कठिनाई आती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ख.न. 1220/434 .436 से होते हुये संलग्न नक्शे में सुर्ख स्याही से वर्णित मौके पर स्थित 20 फीट चौड़ा रास्ता आने-जाने हेतु उपलब्ध करावे। जिस हेतु अप्रार्थी स. 18 को आदेश दिया जावे कि वे रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड एवं जमाबन्दी में दर्ज कर नक्शा ट्रेस में अंकन करे। उक्त रास्ते हेतु खर्चा प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। भूअभिनिरी. जूनियां एवं पटवारी हल्का धुवालिया से जांच करवायी गयी। प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार बताया कि ग्राम एकलसिंहा के ख. न. 420, 423, 424, 429 किस्म गै.मु. पाल प्रीतम कुमार दीनोमल परवानी कोम सिंधी सांकिन अजमेर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर ख.न. पर रास्ता बना हुआ है। तथा सभी खातेदार उसी रास्ते का ही उपयोग करते आ रहे हैं ख.न. 508, 509 किता 2 रकवा 0.33 है। कालू पुत्र मुकना, रामनारायण, सुखदेव पुत्र उदा मांगी पुत्री उदा कोम बैरवा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त ख.न. से भी रास्ता बना हुआ है। रास्ता दर्ज कराने में सभी खातेदार सहमत है। मुताबिक राजस्व नक्शे में दर्शित लाल स्याही के मुताबिक रास्ता दर्ज करवाने में सभी खातेदार सहमत है। मौके पर किसी प्रकार की पाल निर्मित नहीं है। न ही किसी प्रकार का पानी भराव क्षेत्र है। ख.न. 509 में 7गुणा 16 बराबर 112 व.मी. ख.न. 508 में 52गुणा 7 बराबर 364 व.मी. भूमि, ख. न. 420 में 200 व. मी. भूमि, ख.न. 423 में से 100 व.मी. 424 में से 100 व.मी. इस प्रकार कुल रास्ते में पडने वाली भूमि 876 व.मी. भूमि पडती है। ग्राम एकलसिंहा की डी.एल.सी. दर 245916 प्रति है. से उसके अनुसार 21540/- बनते हैं। जिसे डबल करने पर 43080/- रुपये राजकोष में जमा होने हैं। रास्ते में दर्ज होने वाली भूमि की रकम जमा हेतु प्रार्थी तैयार है। प्रकरण अब्दुल रहमान से प्रभावित नहीं है एवं आस-पास कोई वाटर बोडी नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। ग्राम एकलसिंहा के ख.न. 509 में 7गुणा 16 बराबर 112 व.मी. ख.न. 508 में 52गुणा 7 बराबर 364 व.मी. भूमि, ख.न. 420 में 200 व. मी. भूमि, ख.न. 423 में से 100 व.मी. 424 में से 100 व.मी. इस प्रकार कुल रास्ते में पडने वाली भूमि 876 व.मी. भूमि पडती है। उक्त प्रकरण अब्दुल रहमान से प्रभावित नहीं है एवं आस-पास कोई वाटर बोडी नहीं है।

ग्राम एकलसिंहा की डी.एल.सी. दर 245916 प्रति है. से उसके अनुसार 21540/- बनते हैं। जिसे डबल करने पर 43080/- रुपये (अक्षरे तैयालीस हजार अस्सी रुपये) राजकोष में जमा प्रार्थीगण द्वारा जमा करवाया जावे। तहसीलदार केकडी प्रार्थीगण द्वारा जमा करवायी गयी राशि अप्रार्थीगणों को भुगतान करें। तथा राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज एवं तरसीम की कार्यवाही करें। खर्चा फरिक्केन अपना-अपना वहन करें।

आदेश मजमें आम प्रशासन गावों के संग अभियान शिविर स्थल लसाडिया में सुनाया गया।



(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)